उपायुक्त का कार्यालय (समाज कल्याण शाखा), धनबाद ।

पत्रांक ....1323..../स०क०

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
धनबाद ।

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,
एन0आई0सी0, धनबाद ।

धनबाद, दिनांक 11-12-2012

विषय :– आँगनबाड़ी केन्द्रों पर आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति हेतु अल्पकालीन निविदा के प्रकाशन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग, धनबाद जिलान्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं में संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों पर आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति हेतु अल्पकालीन निविदा के धनबाद के बेवसाईट में प्रकाशनार्थ आपके पास भेजा जा रहा है. ।

अनुरोध है कि धनबाद बेवसाईट dhanbad.nic.in पर इसे प्रकाशित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

11/12/2012

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
धनबाद ।

उपायुक्त का कार्यालय (समाज कल्याण शाखा), धनबाद ।

–:: अल्पकालीन निविदा सूचना ::–

समाज कल्याण विभाग, धनबाद द्वारा जिलान्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं में संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों पर आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदा दिनांक 4/1/2013 को आमंत्रित की जाती है । मुहरबंद निविदा .... बजे अपराह्न/पूर्वाह्न् तक जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, धनबाद के कार्यायल कक्ष में उपलब्ध निविदा पेटी में डाली जा सकेगी । उक्त तिथि को अपराह्न/पूर्वाह्न में 05:00 PM बजे अधोहस्ताक्षरी अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निविदादाता या उनके प्रतिनिधि के उपस्थिति में निविदा खोली जायेगी । सामग्रीयों की सूची एवं निविदा की शर्त्ते समाज कल्याण शाखा, धनबाद से कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है ।

आपूर्ति किए जाने वाले सामाग्री की विवरणी निम्नवत् है :–

क्रमांक	सामग्री	विशिष्टता
1	पांती	2' X 5'
2	चटाई	4' X 6'
3	फ्लाई लीफ (कपड़ा का)	मानक आकार
4	गोंद	700 ml, 75 ml
5	कार्बन	कोरस
6	पेन्सिल	एच0बी0 पेन्सिल
7	साबुन (लाईफब्वॉय)	छोटा
8	कंघी	बड़ा
9	तौलिया	छोटा
10	साबुनदानी	साधारण
11	बाल्टी	एलुमिनियम का 12", 14"
12	मग	एलुमिनियम का (01 ली0)
13	बर्त्तन मांजने का झामा	लोहे का
14	घड़े से पानी निकालने का डब्बू	मानक आकार
15	झाडू	मानक आकार
16	दरी	3' X 6'
17	दरी	12' X 15'
18	कैंची	स्टेनलेस स्टील छोटा/बड़ा
19	नेलकटर	स्टेनलेस स्टील
20	गॉड फाईल	मानक आकार
21	पंजी	प्रति नं0
22	छपा हुआ पंजी	65 पन्नों का
23	छपा हुआ एम0पी0आर0	कार्यालय फॉरमेट के अनुसार
24	चॉक	डिब्बा
25	डस्टर	मानक आकार
26	रंगीन चार्ट (गिनती/अक्षर ज्ञान)	मानक आकार
27	स्लेट का पेन्सिल	डिब्बा
28	गेंद	प्लास्टिक का छोटा/बड़ा
29	जम्पिंग रोप	प्लास्टिक का
30	राष्ट्रीय ध्वज	छोटा/बड़ा
31	रिंग	प्लास्टिक का
32	पिन	किंग
33	जिस्ता कागज	सादा
34	टैग	बड़ा/छोटा
35	बक्सा	36" X 22"X22"
36	कैश बुक	मानक आकार
37	स्लेट	मानक आकार

38	अक्षर ब्लॉक / गिनती ब्लॉक	मानक आकार
39	ट्रंक	बड़ा / छोटा
40	ब्लैक बोर्ड	2' X 3'
41	टेबुल	प्लास्टिक का
42	घंटी	मानक आकार
43	जेराक्स पेपर (ए0 फोर साईज)	सेन्चुरी
44	पेपर वेट	शीशा का
45	स्टेपलर	बड़ा / छोटा
46	व्हाईटनर	बड़ा / छोटा
47	नोटिस बोर्ड / बोर्ड	2' X 3'
48	कैलकुलेटर	बड़ा / छोटा
49	पेन	सेलो / लिंक
51	रिफिल	सेलो / लिंक
52	कुर्सी	प्लास्टिक का (नीलकमल / सेलो / सुप्रीम)

निविदा की शर्तें :—

1. निविदादाताओं के तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग—अलग दो मुहरबंद लिफाफे में देना अनिवार्य होगा ।
2. निविदा के साथ मुहरबंद लिफाफे में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, धनबाद के पदनाम से कुल 20,000/— (बीस हजार रुपये मात्र) का ***बैंक ड्राफ्ट*** अग्रधन राशि के रुप में जमा करना होगा ।

   तकनीकी लिफाफा के अन्दर :—

   I. अग्रधन में 20,000/— (बीस हजार रुपये मात्र) ।
   II. बिक्रीकर विभाग द्वारा दुकान निबंधन का प्रमाण पत्र की छाया प्रति ।
   III. बिक्रीकर विभाग द्वारा निर्गत स्वच्छता प्रमाण पत्र की छाया प्रति ।
   IV. पैन कार्ड की छाया प्रति ।
   V. आयकर विभाग में जमा किये 2011—12 टैक्स की छाया प्रति ।
   VI. काली सूची में किसी भी विभाग में दर्ज नहीं होने के शपथ पत्र की मूल प्रति ।
   VII. चरित्र प्रमाण पत्र की छाया प्रति ।
3. सभी सामग्रियों की दर बिक्री कर तथा आयकर सहित देनी होगी । स्वीकृत दर के अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगा । आयकर एवं बिक्री कर की कटौती भुगतान के श्रोत पर एक मुश्त की जायेगी ।
4. निविदादाताओं को आवश्यकतानुसार सामग्रियों का नमूना निविदा के दिन ही समिति के समक्ष प्रस्ततु करना होगा ।
5. चयनित गुणवत्ता के अनुरुप सामग्रियों की आपूर्ति जिले के सम्बन्धित बाल विकास परियोजना कार्यालयों में करनी होगी, जिसके लिए अलग से परिवहन व्यय या कोई शुल्क देय नहीं होगा ।
6. परियोजनाओं से दिये जाने वाले नमूने के अनुरुप विभिन्न पंजियों यथा टीकाकरण पंजी, निरीक्षण पंजी आदि का मुद्रण कराकर आपूर्ति करना होगा ।
7. निविदादाता में स्थानीय आपूर्तिकर्त्ता को प्राथमिकता दी जायेगी ।
8. एक सामग्री का एक ही दर देना होगा । एक से अधिक दर देने पर मूल्य निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।
9. अनुमोदित दर एक वर्ष तक मान्य होगी ।
10. कार्यादेश मिलने पर सामग्रियो की आपूर्ति एक पक्ष के अंदर सम्बन्धित परियोजनाओं में करनी होगी ।
11. निविदा को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा ।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, धनबाद ।	उप विकास आयुक्त, धनबाद । 7-12-12	उपायुक्त, धनबाद ।